छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 1004/2008

1. श्री तुलाराम चन्द्राकर, – अपीलार्थी
ग्राम–नरौली, विकासखण्ड–पंडरिया,
जिला–कबीरधाम (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी/सचिव, – प्रति अपीलार्थी
ग्राम पंचायत–नरौली, विकासखण्ड–पंडरिया,
जिला–कबीरधाम (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 27 जुलाई, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री तुलाराम चन्द्राकर द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी/सचिव, ग्राम पंचायत–नरौली, जिला–कबीरधारम के समक्ष दिनांक 25.04.2008 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी नहीं मिलने कारण उनके द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के समक्ष दिनांक 27.05.2008 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। उसके बाद भी उन्हें जानकारी नहीं मिलने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 11.09.2008 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष के तर्कों का श्रवण किया गया। प्रकरण में पूर्व में अभिलेखों का निःशुल्क निरीक्षण कराने एवं उसके पश्चात् राशि 100/– रूपये तक की जानकारी निःशुल्क देने तथा अधिक की चाहने पर शुल्क लेकर देने के निर्देश दिये गये थे। प्रकरण में अपीलार्थी को निरीक्षण कराया गया था, किन्तु पूर्ण दस्तावेज नहीं होने और हंगामा होने के कारण बाद में पुनः पूर्ण निरीक्षण कराने के निर्देश दिये गये थे, किन्तु उसके बाद भी त्रुटिपूर्ण और अपूर्ण जानकारी देने के कारण जन सूचना अधिकारी को पंद्रह हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था और साथ ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पंडरिया को निर्देश दिये गये थे कि अब आयोग के निर्देशों का पालन 15 दिवस में कराया जावे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत ने दिनांक 06.07.2009 के पत्र द्वारा अवगत कराया कि उनके समक्ष कार्यालय में दिनांक 11.05.2009 को अभिलेखों का अवलोकन सचिव द्वारा कराया गया और दी गई जानकारी की छायाप्रति सचिव द्वारा जनपद पंचायत, पंडरिया में जमा की, जो दिनांक 13.07.2009 को अपीलार्थी को प्रदान की गई है। प्रकरण में जारी कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 09.07.2009 को प्रस्तुत किया गया। उत्तर में उन्होंने शुल्क राशि 1500/– रूपये की मॉग करना और अपीलार्थी द्वारा नहीं पटाया जाना बताया गया तथा उसकी पावती भी उन्होंने प्रस्तुत की है। उन्होंने अपने उत्तर के साथ पंचनामा भी लगाया है, जिनमें अपीलार्थी द्वारा जानकारी लेने से इंकार करना बताया गया और यह भी बताया कि अपीलार्थी बिलासपुर में वकील है तथा ग्राम पंचायत में कभी–कभी आकर ग्रामीण जनता को भडकाते हैं और महिला सरपंच के विरूद्ध दबाव डालने की बात भी मौखिक तर्क में बतायी गई है। अपीलार्थी द्वारा भी एक पत्र प्रस्तुत कर अधूरे रिकार्ड का अवलोकन कराये जाने का उल्लेख किया है और उन्होंने अपने तर्क में यह भी बताया है कि जो छायाप्रतियॉ उन्हें दी गई है, उनमें सफेदा फेरा गया है, जो त्रुटिपूर्ण एवं कुटरचना प्रतीत होती है। उन्होंने अपने तर्क में मस्टर रोल क्रमांक–193321 भी नहीं दिया जाना बताया और यह भी तर्क में बताया कि उनसे राशि 460/– रूपये जमा कराई गई और कुल 31 पृष्ठ की जानकारी दी गई। प्रकरण से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी और सरपंच के मध्य कोई गुटबाजी संबंधी विवाद हो सकता है, जिसके कारण संभवतः महिला सरपंच को परेशान करने की नियत से ही अपीलार्थी वकील होते हुए भी आवेदन लगा रहे हैं। साथ ही उन्होंने स्वयं के मजदूरी का भुगतान नहीं करने की बात बतायी है। अतः समस्त परिस्थितियों पर विचारोपरांत प्रकरण में जानकारी छिपाये जाने संबंधी ऐसी कोई दुर्भावना प्रतीत नहीं होती है और चूंकि पूर्व में शुल्क जमा नहीं कराने के कारण ही रिकार्ड नहीं दिया गया और बाद में आयोग के निर्देश के बाद जनपद पंचायत के कार्यालय में रिकार्ड दे दिया गया है, अतः इस प्रकरण में शास्ति आरोपित किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नही होती है और जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

प्रकरण में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे अब यह देखें कि यदि कोई जानकारी दिया जाना शेष रह गया हो तो वह अब 15 दिवस में पूर्ण निरीक्षण कराकर अपीलार्थी को सचिव से जानकारी प्रदान करा दिया जावे। साथ ही जो फोटो प्रतियॉ सफेदा लगाकर दी गई है, उनको मूल रिकार्ड से मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वयं मिलान करें यदि इसमें सचिव की त्रुटि पाई जाती है तो न केवल अब सही छायाप्रति दिलायी जावे बल्कि अधिनियम की धारा–20(2) के अन्तर्गत सचिव के विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही भी उनके द्वारा करने की अनुशंसा की जाती है। साथ ही अब यह निर्देश दिये जाते हैं कि पूर्व में यदि अधिक शुल्क जमा कराकर कम जानकारी दी गई है तो अधिक जमा शुल्क की राशि अपीलार्थी को लौटायी जावे। साथ ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि इस ग्राम पंचायत का विशेष आडिट भी कराया जावे। प्रकरण में अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com